

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, बिहार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन का आमंत्रण

शुद्धि-पत्र

पुनर्विचार याचिका (सी.)-2309/2012, भारत सरकार बनाम् नमित शर्मा में दिनांक-03.09.2013 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश की कंडिका-32(ii) एवं 32(iii) के आलोक में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, बिहार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन के आमंत्रण के लिए दिनांक-19.06.2019 को विभागीय वेबसाईट पर तथा दिनांक-21.06.2019 को दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र "हिन्दुस्तान" एवं दैनिक अँग्रेजी समाचार-पत्र "THE TIMES OF INDIA" में प्रकाशित प्रेस-विज्ञप्ति में एतद् द्वारा निम्नांकित संशोधन किये जाते हैं :-

- क) प्रकाशित विज्ञप्ति की कंडिका-1 की पंक्ति-4 में "समाज में प्रख्यात व्यक्ति नियुक्त होंगे" के स्थान पर "केवल समाज में प्रख्यात व्यक्ति नियुक्त होंगे" प्रतिस्थापित किये जाते हैं।
- ख) कंडिका-1 के बाद निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाता है :- परन्तु संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल का सदस्य या कोई अन्य लाभ का पद धारण करने वाले या किसी राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले या कोई कारोबार या वृत्ति करने वाले व्यक्ति यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए नियुक्त होते हैं, तो उन्हें उक्त पद की कार्यावधि में उक्त वर्णित पदों, यथा स्थिति, का परित्याग करना होगा।
2. आवेदन आमंत्रण की तिथि 02.08.2019 तक विस्तारित की जाती है।

(अवनीश कुमार सिंह)  
उप सचिव,  
सामान्य प्रशासन विभाग,  
मुख्य सचिवालय, पटना-15  
दूरभाष:- 0612-2215779

Govt. of Bihar  
**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT**

**APPLICATION INVITED FOR APPOINTMENT OF VACANT POST OF THE STATE  
CHIEF INFORMATION COMMISSIONER, BIHAR**

**CORRINGENDUM**

In the light of the para-32(ii) & 32(iii) of the Review Petition (C) 2309/2012, Union of India V/S Namit Sharma, The Press Note advertised in departmental website on 19.06.2019 and in daily Hindi News Paper "**THE HINDUSTAN**" and daily English News Paper "**THE TIMES OF INDIA**" on 21.06.2019 for the application invited for appointment of vacant post of the State Chief Information Commissioner, Bihar, the following revisions are hereby being made in this advertised Press-Note :-

- a) In line 4 of para-1 of the advertised Press-Note "**The persons of eminence in public life**" are being replaced by "**only persons of eminence in public life**".
  - b) The following proviso are being added after para-1 :- But, after such person is appointed as Chief Information Commissioner, he has to discontinue as Member of parliament or Member of the Legislature of any State or Union Territory, or discontinue to hold any other office of profit or remain connected with any political party or carry on any business or pursue any profession, as the case may be, during the period he function as Chief Information Commissioner of Bihar.
  - c) In line 4 of para-3 the word "**Person**" is omitted.
2. Date of the invited application is extended up to dated 02.08.2019

**(AVANEESH KUMAR SINGH)**  
Deputy Secretary,  
General Administration Department,  
Main Secretariat, Patna-15  
Phone: 0612-2215779